Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/Pfiofficial
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

4 अक्टूबर 2019
नई दिल्ली

मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलने पर एफआईआर; पॉपुलर फ्रंट ने जताया आश्चर्य

देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की वारदातों पर चिंता व्यक्त करते हुए लगभग 50 प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखे जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ई. अबूबकर ने हैरानी और गुस्से का इज़हार किया है।

बताया जा रहा है कि इन हस्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें बगावत, सार्वजनिक बाधा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और जान–बूझकर शांति भंग करने जैसी धाराएं शामिल हैं। यह सभी सरासर बेतुके आरोप हैं और यह लोगों को धमकाने के लिए कानून का खुला दुरूपयोग है। यह बड़े गुस्से की बात है कि आज़ादी के साथ बात करने, विरोध के अधिकार की रक्षा करने और अल्पसंख्यकों और दलितों पर बढ़ती हिंसा के खिलाफ सवाल उठाने को भी अब देश में अपराध समझा जाने लगा है। एक स्थानीय वकील की याचिका पर कार्यवाही की मांग का आदेश जारी करने वाले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या तो न्याय की कुछ अलग ही सोच रखते हैं या उन्होंने देश की वास्तविकताओं से वास्ता खो दिया है। जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर नोटिस लिया था और इसके खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी।

पॉपुलर फ्रंट के चेयरमैन ने उन हस्तियों के साथ एकजुटता का इज़हार किया और यह यकीन दिलाया कि संगठन अपनी मर्ज़ी की बात बोलने के नागरिक अधिकार के साथ खड़ा रहेगा।

डॉ० मुहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली